न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय(एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP–2002)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2116/2024
CNR No. UPGH010065412024

रामअवध उर्फ शेरू राजभर पुत्र मानिक चन्द्र राजभर निवासी ग्राम रेंगा, थाना बरेसर, जिला गाजीपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य। **––––विपक्षी**

मु०अ०सं०–186/2020
धारा–392, 411 भा0 दं0 सं0
थाना–बरेसर, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री मनोज कुमार राय, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

09–12–2024 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त रामअवध उर्फ शेरू राजभर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–186/2020, धारा 392, 411 भा0 दं0 सं0, थाना बरेसर, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त होने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामसन्त यादव द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह यूनियन बैंक सिउरी अमहट में बैंक मित्र के रूप में कार्यरत है। दिनांक 15–10–2020 को 04–40 बजे अपने ग्राहक सेवी केन्द्र सिउरी अमहट शाखा से अपने साथ तीन लाख चालीस हजार रूपये और लैपटॉप, फिंगर डिवाईस यूनियन बैंक का दो, चेक बुक, लेखा जोखा रजिस्टर, एक डायरी लेकर आते समय रास्ते में बनवा नहर से 100 मीटर दूर दो लोग मोटरसाईकिल सवाल पीछे से आये जिसमें पीछे वाले के पास असलहा था और उसी गाड़ी को ओवरटेक करके उसका बैग व नगद, कैश व सारा सामान लेकर भाग गये। गाड़ी सफेद रंग की अपाची नम्बर यूपी 70 सीएच 8557 होना

बताया तथा गाड़ी चालक हेल्मेट पहने था व पीछे बैठे व्यक्ति ने मास्क लगा रखा था। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत मुकदमा अपराध संख्या–186/2020, थाना बरेसर, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता की अभिवृद्धि की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। दिनांक 17–12–2020 को आवेदक/अभियुक्त को थाना पुलिस बरेसर ने शाम को घर से जबरदस्ती उठा लायी तथा उक्त अपराध संख्या व अन्य मुकदमों में फर्जी फँसा दिया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से तीन माह व दो माह पहले लूटा हुआ रूपया मौके बरामद होना दिखाया गया है जोकि पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से पुलिस फोर्स द्वारा कही गई तथाकथित बरामदगी व गिरफ्तारी व पुलिस फोर्स पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का कोई समय फर्द बरामदगी में दर्ज नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक दिनांक 18–12–2020 उक्त के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी सहअभियुक्त राहुल राय के साथ हुई थी और सहअभियुक्त राहुल राय की जमानत दिनांक 23–05–2022 को विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–04, गाजीपुर के न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त सहअभियुक्त शिवानन्द राजभर की गिरफ्तारी मौके से नहीं हुई थी और उसके कब्जे से कुछ नहीं पाया गया था। इस कारण उसका जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 05–01–2021 को विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–04, गाजीपुर के द्वारा स्वीकार किया गया था। विवेचनोपरान्त मामले में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, गिरफ्तारी प्रपत्र, फर्द बरामदगी एवं आरोप पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त को सहअभियुक्त राहुल राय के साथ गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के समय आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, 53,700/– रूपया, एक मोटरसाइकिल UP60W8177 बरामद हुई है। मौके से पकड़े गये सहअभियुक्त राहुल राय का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–04, गाजीपुर द्वारा दिनांक 23–05–2022 को खारिज किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से पेश किये गये आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध 11 मामलो का आपराधिक इतिहास लम्बित है। विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाने के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं वाद के गुण दोष पर विचार किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रामअवध उर्फ शेरू राजभर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 09–12–2024

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।